

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर।

क्रमांक : ई-18/एम/एसीपी एफ .17618/जयपुर-जोन/2024/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 व एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री रवि यादव, वरिष्ठ सहायक, अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथी 21.12.2005 है को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपी के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2023 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में द्वितीय एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-18/एम/एसीपी एफ .17618/जयपुर-जोन/2024/449

दिनांक : 29/4/24

प्रतिलिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. श्री रवि यादव, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref  
6699893



Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.04.29 17:27:15 IST  
Reason: Approved